Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 176-2025/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 15 अक्तूबर, 2025
(23 आश्विन, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025 (2025 का 18)।	173
	(केवल हिन्दी में)।	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	शुद्धि पर्ची संख्या 198 रूल्ज/II.डी4, दिनांक 08.10.2025.	33—36
	(केवल अंग्रेजी में)	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अक्तूबर, 2025

संख्या लैज. 19/2025.– दि हरियाणा लेजिसलॅटिव अॅसेमब्लि (सैलॅरि, अॅलाउअॅन्सिज ऐण्ड पेंशन ऑफ मेम्बरज) अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 अक्तूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025
हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975
को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7ग का संशोधन।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7ग के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ग) भारत में कहीं भी स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए विशेष यात्रा भत्ता की ऐसी राशि, जो प्रति मास दस हजार रूपए से अधिक न हो।''।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12176—L.R.—H.G.P., Pkl.